संख्या 210 /2024/1376/41-2-2024/110(सा0)/2023-C.N.-1749744

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पर्यटन,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 06 अगस्त, 2024**

विषयः-पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 9932/2-9(विभा0पुन0)/का0/2024, दिनांक 13 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रदेश को पर्यटन के विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के सभी 75 जनपदों में पर्यटन की संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्रों का चिन्हांकन कर पर्यटक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पर्यटक स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनपदों में विभिन्न मेले महोत्सव का आयोजन कराये जाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ाये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के नये आयामों यथा रूरल टूरिज्म (ग्रामीण पर्यटन), एम.आई.सी.ई टूरिज्म (मीटिंग, इन्सेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एक्जिबीशन), युवाटूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म (साहसिक पर्यटन) आदि को प्रदेश में स्थापित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में पर्यटन विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में ईको टूरिज्म विकास बोर्ड, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, ब्रजतीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0 श्री शुक तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0 श्री देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0 श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0 विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद एवं जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन किया गया है।

3- प्रदेश के समस्त जनपदों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न पर्यटन परिपथों को चिन्हांकित किया गया है यथा-रामायण परिपथ, कृष्णा-ब्रज परिपथ, बौद्ध परिपथ,शक्तिपीठ परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, वन्यजीव एवं ईको पर्यटन परिपथ, महाभारत परिपथ, जैन परिपथ, सूफी/कबीर परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, क्राफ्ट् परिपथ ट्रेल।

4- पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थलों एवं प्रसिद्ध मंदिरों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विश्व स्तरीय महोत्सव यथा-दीपोत्सव, कृष्णोत्सव, रंगोत्सव, देव दीपावली इत्यादि का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अधिक से अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति-2022 का प्रख्यापन कराया गया है तथा पर्यटन क्षेत्रमें लगभग रू0 1,51,796 करोड़ का निवेश कराये जाने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 3.71 लाख रोजगार का सृजन होना संभावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- वर्ष 1972 के पूर्व पर्यटन विभाग परिवहन विभाग का अंग था। पर्यटन के बढ़ते आयामों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा पर्यटन विभाग की पृथक से स्थापना की गयी। वर्षवार पर्यटन विभाग के कार्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है, किन्तु पर्यटन विभाग के संगठनात्मक ढॉचे में कोई विस्तार नही हुआ है।वर्तमान समय में सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान समय में पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु विभिन्न नवीन कार्य कराए जा रहें है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा में पर्यटन विकास हेतु मुख्यमंत्री सहभागिता योजना।
- प्रदेश में ईको टूरिज्म के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।
- पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना तथा पर्यटन नीति के अन्तर्गत देय लाभ को निवेशकों/व्यक्तियों/संस्थाओं तक पहुंचाना।
- जन सामान्य विशेष रूप से युवाओं में पर्यटन के प्रति अभिरूचि हेतु पर्यटन क्लब/युवा पर्यटन क्लब आदि के माध्यम से गतिविधियों का आयोजन किया जाना।
- टूरिज्म ट्रेड-फेयर एवं एक्जिबिशन्स का आयोजन एवं प्रतिभाग।
- पारम्परिक मेले त्योहारों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उक्त आयोजनों में पर्यटकों की सुविधा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ।
- शासन स्तर, मण्डल व जिला स्तर पर वन/पर्यावरण/संस्कृति/धमार्थ कार्य /पुरातत्व/उद्योग/नगर विकास आदि अन्य विभागों/संस्थानों से समन्वय/सम्पर्क स्थापित करते हुए अन्तर्विभागीय सहयोग प्राप्त करते हुए पर्यटन विकास योजनाओं हेतु आवश्यक स्वीकृतियां/सहमति/भूमि उपलब्धता/रख रखाव /संचालन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराया जाना।
- पर्यटन के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का संचालन करते हुए पर्यटन क्षेत्र के सेवा प्रदाताओ यथा गाइड, शाप कीपर, टैक्सी-रिक्शा चालक आदि में क्षमता संवर्धन किया जाना।
- पर्यटकों/श्रद्धालुओं की सांख्यिकी का संकलन एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार स्थलों पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना।
- अल्पज्ञात, साहसिक, इको/रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन सहित ऐसे नवीन स्थलों का आइडेन्टिफिकेशन, जहां भविष्य में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की प्रबल सम्भावना हो।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के दृष्टिगत पर्यटन विभाग के संगठनात्मक ढॉचे के सुदृढ़ीकरण एवं स्वरूप में परिवर्तन किये जाने के आलोक में पर्यटन विभाग के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किये जाने हेतु दिनांक 30.07.2024 को सम्पन्न मा0 मत्रि-परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) पर्यटन विभाग के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किये जाने हेतु कतिपय नवीन पद सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिनका विवरण निम्न्वत् है:-

क्रम सं0	**पदनाम**	**ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल**	**पदों की संख्या**	**भर्ती का स्रोत**
1	निदेशक पर्यटन	-	1	शासन के विशेष सचिव स्तर (पी0सी0एस0/आई0ए0एस0)
2	निदेशक पर्यटन (ईको टूरिज्म)	-	1	उप वन संरक्षक स्तर का आई0एफ0एस0 अधिकारी
3	अपर निदेशक	रू0 8700 मैट्रिक्स लेवल -13	1	पदोन्नति, अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

				निदेशक के पद पर न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
4	जिला पर्यटन अधिकारी	रू0 4800 मैट्रिक्स लेवल - 8	59	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
5	अपर जिला पर्यटन अधिकारी	रू0 4200 मैट्रिक्स लेवल - 6	38	पदोन्नति

(2) पर्यटन विभाग में प्रकाशन सम्बंधी कार्य हेतु प्रकाशन अधिकारी, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे रू0 4600/-, मैट्रिक्स लेवल-7 को उच्चीकृत करते हुए वेतनमान 9300 - 34800, ग्रेड वेतन रू0 4800, मैट्रिक्स लेवल-8 में किये जाने का निर्णय लिया गया । उक्त पद को उच्चीकृत किए जाने हेतु प्रकाशन अधिकारी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार अधीनस्थ संवर्गीय पद पर्यटन सूचना अधिकारी, वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे रू0 2400/-, मैट्रिक्स लेवल-4 को उच्चीकृत करते हुए वेतनमान 5200-20200, ग्रेड वेतन रू0 2800, मैट्रिक्स लेवल-5 में किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त पद को उच्चीकृत किए जाने हेतु पर्यटन सूचना अधिकारी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) ऐसे पदों, जिनकी वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है, को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	**पदनाम**	**पदों की संख्या**	**वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन व मैट्रिक्स लेवल**	**अभ्युक्ति**
1	पर्यटक अधिकारी	17	4200/लेवल-06	जिला पर्यटन अधिकारी के नवीन पद के सृजन के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।
2	सहायक पर्यटक अधिकारी	13	2800/लेवल-05	अपर जिला पर्यटन अधिकारी के नवीन पद के सृजन के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3	महानिदेशक पर्यटन के वैयक्तिक सहायक	1	4200/लेवल-06	पद समाप्त किया जाता है।
4	डाक्यूमेंटेशन सहायक	1	2800/लेवल-05	पद समाप्त किया जाता है।
5	फोटोग्राफर	1	4200/लेवल-06	पद समाप्त किया जाता है।
6	कलाकार	1	4200/लेवल-06	पद समाप्त किया जाता है।
7	प्रोजेक्ट ऑपरेटर	1	1800/लेवल-01	पद समाप्त किया जाता है।
8	दफ्तरी	1	1800/लेवल-01	पद समाप्त किया जाता है।
योग		36		

(4) ऐसे पदों की संख्या जो वर्तमान में सृजित है तथा उनकी संख्या में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया, का विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं0	**पदनाम**	**वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन व मैट्रिक्स लेवल**	**वर्तमान में सृजित पदों की संख्या**	**पुनर्गठन में पदों की संख्या**
1	संयुक्त निदेशक पर्यटन	ग्रेड पे-रू0 7600 मैट्रिक्स लेवल-11	2	4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2	उपनिदेशक	ग्रेड पे-रू0 6600 मैट्रिक्स लेवल-11	8	11
3	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी	ग्रेड पे-रू0 5400 मैट्रिक्स लेवल-10	11	14
4	पर्यटन सूचना अधिकारी	ग्रेड वेतन रू0 2800 मैट्रिक्स लेवल-5	51	79
5	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	ग्रेड पे- रू0 4600 मैट्रिक्स लेवल-7	4	8
6	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	ग्रेड पे- रू0 4200 मैट्रिक्स लेवल-6	7	15
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ग्रेड पे- रू0 4800 मैट्रिक्स लेवल-8	1	3
8	वरिष्ठ सहायक	ग्रेड पे- रू0 2800 मैट्रिक्स लेवल-5	11	28
9	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-1	ग्रेड पे- रू0 4600 मैट्रिक्स लेवल-7	3	5
10	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-2	ग्रेड पे- रू0 4200 मैट्रिक्स लेवल-6	7	8
11	लेखाकार	ग्रेड पे- रू0 4200 मैट्रिक्स लेवल-6	10	13
12	सहायक लेखाकार	ग्रेड पे- रू0 2800 मैट्रिक्स लेवल-5	4	13
13	लेखा परीक्षक	ग्रेड पे- रू0 2800 मैट्रिक्स लेवल-5	1	2
योग			120	203

(5) पर्यटन विभाग में वर्तमान में सृजित कुल पदों के सापेक्ष पुनर्गठन में पदों की संख्या एवं वेतनमान का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वर्तमान पदों की संख्या**	**पुनर्गठन में पदों की संख्या**	**वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन व मैट्रिक्स लेवल**	**अभ्युक्ति**
1	महानिदेशक पर्यटन	1	1	-	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	निदेशक पर्यटन	0	1	-	शासन के विशेष सचिव स्तर (पी0सी0एस0/आई0ए0एस0)
3	निदेशक पर्यटन (ईको टूरिज्म)	0	1	-	उप वन संरक्षक स्तर का आई0एफ0एस0 अधिकारी
4	अपर निदेशक	0	1	8700/लेवल-13	पदोन्नति अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त निदेशक के पद पर न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5	वित्त नियंत्रक	1	1	8700/लेवल-13	वित्त सेवा संवर्ग
6	संयुक्त निदेशक पर्यटन	2	4	7600/ लेवल-12	पदोन्नति संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु उप निदेशक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
7	उपनिदेशक	8	11	6600/लेवल-11	पदोन्नति उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/सहायक निदेशक पर्यटन के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
8	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/सहायक निदेशक पर्यटन	11	14	5400/लेवल-10	पदोन्नति
9	जिला पर्यटन अधिकारी	0	59	4800/लेवल-08	50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत पदोन्नति
10	अपर जिला पर्यटन अधिकारी	0	38	4200/लेवल-06	पदोन्नति
11	पर्यटक अधिकारी	17	0	4200/लेवल-06	जिला पर्यटन अधिकारी के नवीन पद के सृजन के फलस्वरूप उक्त स्वत: समाप्त हो जायेगा।
12	सहायक पर्यटक अधिकारी	13	0	2800/लेवल-05	अपर जिला पर्यटन अधिकारी के नवीन पद के सृजन के फलस्वरूप उक्त स्वत: समाप्त हो जायेगा।
13	पर्यटन सूचना अधिकारी	51	79	2800/लेवल-05	सीधी भर्ती पर्यटन सूचना अधिकारी पद के वेतन को ग्रेड वेतन 2400/- से ग्रेड वेतन -2800/- में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
14	वरिष्ठ शोध अधिकारी	1	1	6600/लेवल-11	पदोन्नति वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु शोध अधिकारी के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
15	शोध अधिकारी	1	1	5400/लेवल-10	पदोन्नति शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर 02 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
16	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	4	8	4600/लेवल-07	पदोन्नति अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर 02 वर्ष की सेवा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
17	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	7	15	4200/लेवल-06	सीधी भर्ती
18	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	1	5400/लेवल-10	पदोन्नति
19	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	3	4800/लेवल-08	पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

20	प्रशासनिक अधिकारी	5	5	4600/लेवल-07	पदोन्नति
21	प्रधान सहायक	20	20	4200/लेवल-06	पदोन्नति
22	वरिष्ठ सहायक	11	28	2800/लेवल-05	पदोन्नति
23	कनिष्ठ सहायक	39	39	2000/लेवल-03	सीधी भर्ती
24	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक	1	1	2000/लेवल-03	सीधी भर्ती
25	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-1	3	5	4600/लेवल-07	पदोन्नति
26	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-2	7	8	4200/लेवल-06	पदोन्नति
27	आशुलिपिक	10	9	2800/लेवल-05	सीधी भर्ती
28	सहायक लेखाधिकारी	2	2	4800/लेवल-09	पदोन्नति
29	लेखाकार	10	13	4200/लेवल-06	पदोन्नति
30	सहायक लेखाकार	4	13	2800/लेवल-05	सीधी भर्ती
31	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	1	1	4200/लेवल-06	पदोन्नति
32	लेखा परीक्षक	1	2	2800/लेवल-05	सीधी भर्ती
33	ड्राइवर विशेष ग्रेड	1	1	4600/लेवल-07	पदोन्नति
34	ड्राइवर, ग्रेड 1	2	2	4200/लेवल-06	पदोन्नति
35	ड्राइवर, ग्रेड 2	3	3	2800/लेवल-05	पदोन्नति
36	ड्राइवर, ग्रेड 3	4	4	2400/लेवल-04	पदोन्नति
37	ड्राइवर, ग्रेड 4	5	5	1900/लेवल-02	सीधी भर्ती
38	प्रकाशन अधिकारी	1	1	4800/लेवल-08	सीधी भर्ती प्रकाशन अधिकारी पद के वेतन को ग्रेड वेतन 4600/- से ग्रेड वेतन -4800/- (मैट्रिक्स लेवल -8) में उच्चीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
39	मानचित्रकार	1	1	2800/लेवल-05	मानत्रिकार का पद वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा।
40	महानिदेशक पर्यटन के वैयक्तिक सहायक	1	0	4200/लेवल-06	पद समाप्त किया जाता है।
41	डाक्यूमेंटेशन सहायक	1	0	2800/लेवल-05	पद समाप्त किया जाता है।
42	फोटोग्राफर	1	0	4200/लेवल-06	पद समाप्त किया जाता है।
43	कलाकार	1	0	4200/लेवल-06	पद समाप्त किया जाता है।
44	प्रोजेक्ट ऑपरेटर	1	0	1800/लेवल-01	पद समाप्त किया जाता है।
45	दफ्तरी	1	0	1800/लेवल-01	पद समाप्त किया जाता है।
46	साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर	1	1	1800/लेवल-01	साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर का पद वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

47	चतुर्थ श्रेणी	82	130	1800/लेवल-01	वर्तमान समय में 27 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक स्थायी रूप से सेवा में कार्यरत हैं तथा 103 मानव सम्पदा के सापेक्ष मानव शक्ति का क्रय
48	स्वीपर/सफाईकर्मी	12	3	1800/लेवल-01	वर्तमान समय में 03 स्वीपर स्थायी रूप से सेवा में कार्यरत है, कार्यरत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।
योग		351	536		
आउट सोर्सिंग के 103 चतुर्थ श्रेणी के पदों को घटाने के उपरान्त योग		351	433		

(6) जिला पर्यटन अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 पी0सी0एस0 सामान्य परीक्षा के माध्यम से तथा पर्यटन सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित सामान्य परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

(7) प्रदेश के पर्यटन कार्यालयों में 76 कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा 103 चतुर्थ श्रेणी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जायेगें।

(8) पर्यटन सूचना अधिकारी, सहायक पर्यटक अधिकारी एवं पर्यटक अधिकारी के पद पर कार्यरत पद धारक को सेवा अवधि के आधार पर अन्य उच्च पदों (अपर जिला पर्यटन अधिकारी/जिला पर्यटन अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी) पर समायोजन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से सेवा सम्बन्धी शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

(9) पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढॉचे में जो भी पद सृजित किए जा रहे हैं उन सभी पदों की सेवा नियमावली परामर्शी विभागों यथा-कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से बनाया जायेगा।

(10) पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किये जाने पर विसंगति/त्रुटि पाये जाने की स्थिति में संशोधन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

7- पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, लेखा संवर्ग, लेखा परीक्षक संवर्ग, चालक संवर्ग के पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति हेतु वित्त विभाग/कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत मानक नियमावलियों के अनुसार व्यवस्था रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आउटसोर्सिंग के पद को सृजित किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आउटसोर्सिंग पर शासकीय कार्य कराये जाने की अपरिहायर्ता के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या–12/का-2/2000, दिनांक 06 जनवरी, 2020 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों का किसी भी रूप में उल्लंघन न हो तथा आउटसोर्सिंग पर शासकीय कार्य कराने के लिए किसी भी प्रकार के पदों का सृजन न किया जाय, अपितु अपनी विभागीय कार्यात्मक शासकीय आवश्यकता एवं अपरिहार्यता सक्षम स्तर पर निर्धारित करके प्रकरण में वित्तीय उपाशय होने के दृष्टिगत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए संबंधित कार्य को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियमानुसार कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) पूर्ण संवर्गीय पुनर्गठन न्यूनतम, वास्तविक, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कराने के पश्चात इसका क्रियान्वयन (Implementation) चरणबद्ध रूप (Phased Manner) में किया जायेगा।

(4) प्रदेश में पर्यटन विकास की बहुआयामी सम्भावनाओं यथा-मेडिकल टूरिज्म, धार्मिक/आध्यात्मिक टूरिज्म, वैलनेस सेन्टर को तलाशते हुए चरणबद्ध रूप से पर्यटन सम्बन्धी विजन को लागू करते हुए Micro Target (लघु अवधि की योजना) एवं Macro Approach (दीर्घ अवधि की रणनीति) के माध्यम से यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(5) मेडिकल टूरिज्म, धार्मिक/आध्यात्मिक टूरिज्म, वैलनेस सेन्टर के विकास हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग, आयुष विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, वन विभाग इत्यादि विभागों से विशेषज्ञ अधिकारियों के सहयोग से विजनरी डाक्यूमेंट एवं उसके कार्यान्वयन हेतु यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(6) मानव संशाधन में कमी किए जाने हेतु पर्यटन विकास हेतु डिजिटलाइजेशन का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग के विशेषज्ञों की सेवायें लिये जाने हेतु यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(7) सृजित किए जा रहे पदों को यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भर लिया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन भुगतान इत्यादि के सम्बन्ध में आवंटित बजट के सापेक्ष वित्तीय संसाधन पर्याप्त होगा अथवा नहीं, का परीक्षण सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

(8) मितव्ययिता के दृष्टिगत भविष्य में आवश्यकता होने पर पर्यटन मित्रों के चयन पर यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(9) सृजित किए जा रहे पदों हेतु पर्यटन निदेशालय द्वारा यथासमय बजटीय व्यवस्था की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, कार्मिक विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।